

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)
प्रार्थी :- मुकनाराम पुत्र गोलाराम --बनाम:- अप्रार्थी :- तहसीलदार
किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :- 120/2023

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तारीख
में जारी
हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प निमाज में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-निमाज II में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 62 के ख.नं. 1543 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम मका पुत्र गोलु दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में मुकनाराम पुत्र गोलाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम मका पुत्र गोलु के स्थान पर मुकनाराम पुत्र गोलाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान निमाज में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा-निमाज II में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 62 के ख.नं. 1543 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम मका पुत्र गोलु दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में मुकनाराम पुत्र गोलाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम मका पुत्र गोलु के स्थान पर मुकनाराम पुत्र गोलाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। पत्रावली एवं दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं वर्तमान जमाबन्दी का अध्ययन किया। चूंकि प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में मुकनाराम पुत्र गोलाराम दर्ज हैं। प्रार्थी का प्रा. पत्र सारहीन हाने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र सारहीन होने से अस्वीकार / खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO श्याम सुन्दर बिष्टनोई
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

